न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 294 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 479

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जोगेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह जाति राजपूत निवासी–मयूर नोबल एकेडमी के पास,गांधीनगर बाड़मेर तहसील बाड़मेर व जिला बालोतरा		1राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.वनपालसिंह पुत्र आसूसिंह 3.कृष्णपालसिंह पुत्र आसूसिंह 4.भंवरकंवर पत्नी आसूसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रकुमार अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दुर्गेशकुमार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 08.10.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की की खसरा संख्या 760 / 227 रकबा 14.06 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी खसरा संख्या 754 / 227 की भी तरमीम हल्का पटवारी द्वारा मनमाफिक व बिना किसी न्यायालय आदेश के तरमीम कर दी गई,जबकि प्रार्थी का ही विवादित आराजी में कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन गलत तरमीम के कारण विप्रार्थी आए दिन प्रार्थी को बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर आवेदन–पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित मौके की स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया था तथा बाद सुनवाई प्रार्थी का आवेदन आदेश दिनांक 05.7.2022 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील पेश की गई,जो अपील संख्या 228 / 2023 अनवान वनपालसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह वगैरा पर दर्ज रजिस्टर हुए तथा बाद

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सुनवाई निर्णय दिनांक 06.8.2024 के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05.7.2022 को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों के मध्यनजर अपीलाधीन प्रकरण में उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने,राजस्व रेकर्ड का परीक्षण करने व पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करने के उपरांत विधिक तौर पर परीक्षण करते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे।

3.माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री दुर्गेशकुमार द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 4 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से विवादित आराजी के संबध में राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्त की जाती है,तो सहमत है। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पूर्व में जवाब पेश कर रखा है तथा आज उपस्थित नहीं हुए है।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 760/227 रकबा 14.06 बीधा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी खसरा संख्या 754/227 की भी तरमीम हल्का पटवारी द्वारा मनमाफिक व बिना किसी न्यायालय आदेश के तरमीम करने के कारण प्रार्थी द्वारा तरमीम शुद्वी करवानें हेतु आवेदन पेश किया था,जो कि बाद सुनवाई प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश पारित किए गए,लेकिन विप्रार्थी द्वारा अपील पेश करने पर प्रकरण रिमाण्ड होकर पुनः सुनवाई हेतु श्री न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी के संबध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है,माफिक राजीनामा परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती की जावे।

5.विप्रार्थी संख्या 2 से 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया है,माफिक राजीनामा परिशिष्ट अ मुताबिक पक्षकारान का कब्जा–काश्त है तथा परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूंस्त की जाती है तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) ✻ बालोतरा ✻

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात इत्यादि का [illegible] किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया [illegible] तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 760/227 क्षेत्रफल 2.31 [illegible] प्रार्थी की [illegible] में अवस्थित है तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 754/227 रकबा 2.01 बीधा भूमि विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 4 [illegible] विवादित आराजी खसरा संख्या 760/227 व 754/227 की विदयमान तरमीम को लेकर विवाद था। चूंकि पक्षकारान की ओर से विवादित आराजी को लेकर लोक भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पेश कर परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवानें पर रजामंदी दी गई है तथा परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है,क्योंकि विवादित आराजी के खातेदारान की ओर से स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर पक्षकारान का परिशिष्ट अ मुताबिक काबिज है तथा विदयमान तरमीम मौका स्थिति अनुरूप नहीं होने के कारण परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम करवानें पर सहमत है। न्यायालय हाजा को भी उचित प्रतीत होता है कि विदयमान तरमीम व प्रस्तावित परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम में भिन्नता होने के कारण परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है,ताकि पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा हो सके तथा रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति में एकरूपता रहे। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्राथी विवादित भूमि की तरमीम परिशिष्ट अ मुताबिक दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 760/227 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट अ नक्शा मुताबिक खसरा संख्या 760/227 व बरंग पीला खसरा संख्या 754/227 की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त परिशिष्ट अ नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा